संख्या क0नि0-5-2897/11-98

प्रेषक,

हरीश चन्द्र गुप्त,
प्रमुख सचिव,
कर एवं संस्थागत वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 7 जुलाई, 1998

विषय- निश्चित क्षेत्रफल से कम भूमिको आवासीय भूमि मानना

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय जनपदों के जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के नियम-4 के तहत द्विवार्षिक मूल्य सूची जारी करते समय अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी इंगित कर देते है कि “कितने क्षेत्रफल से कम भूमि आवासीय मानी जायेगी”। यहॉ यह सुस्पष्ट करना है कि उपरोक्त नियमावली में जिलाधिकारी को उपरोक्त प्रकार का विवेकाधीन अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही उपरोक्त नियमावली में उपरोक्त आशय का कोई प्रावधान ही है द्विवार्षिक मूल्य सूची जारी करते समय उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

सत्यापित प्रतिलिपि

ह0/- भवदीय

(यू0 के0 एस0 चौहान) हरीशचन्द्र गुप्त

विशेष सचिव। प्रमुख सचिव

कर एंव संस्थागत वित्त